न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 19/2021 G.C.M.S. No. 2021/71 दर्ज दिनांक : 15.03.2021

अपीलार्थी:

1. मोहनलाल पुत्र सोनाराम उर्फ सोनीया, उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी जाटों की डोरण, सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली।
2. जमुदेवी पत्नि जोगारामजी, उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, निवासी जाटों की डोरण, सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मांगीलाल पुत्र सोनाराम उर्फ सोनीया, उम्र 42 वर्ष, जाति जाट, निवासी जाटों की डोरण, सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2020 बअनवान मांगीलाल बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 24.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2020 बअनवान मांगीलाल बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलार्थी संख्या 1 मोहनलाल जो, वलसाड जिले के कापरड़ा में कपड़ो की दुकान चलाता है एवं जमुदेवी जो बीमार होने से अपने ईलाज हेतु बाहर गई हुई थीं। जिनकी प्रोपर स्वयं की कोई तामिल कानूनन नहीं हुई। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को समुचित सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। मौके पर प्रार्थी/रेस्पोंडेण्ट मांगीलाल का कोई कब्जा–काश्त भौतिक रूप से नहीं हैं एवं बिना कब्जे के दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं था एवं प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं था। इसके विपरीत वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की खातेदारीसुदा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कब्जासुदा दर्ज एवं मौके पर अपीलार्थीगण की मौके पर गेहूँ की फसल खड़ी हैं एवं अपीलार्थीगण एकमात्र सोलवेन्ट खातेदार काश्तकार है। कानूनन् खातेदार काश्तकार के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकता है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त वादग्रस्त की कृषि भूमि जो अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार को सोनाराम उर्फ सोनिया द्वारा उसकी स्वयं की 1/6 हिस्से की खातेदारीसुदा एवं कब्जासुदा भूमि जो बख्शीश की गई, राजस्थान काश्तकारी कानून के अनुसार एक खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी भूमि को बेचाण, बख्शीश, अन्तरण व हस्तान्तरण का पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जो बख्शीशनामा सोनाराम द्वारा निष्पादित किया जो सही व विधिवत है। जिस पंजीबद्ध बख्शीशनामा को, आज दिन तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई एवं न ही निरस्त किया गया। इस कारण इस न्यायालय को बख्शीशनामा सही है या गलत, यह तय करने का अधिकार नहीं रहता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण खातेदार कृषक है। जिनको अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग व काश्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से रोका गया है जो कानूनन् गलत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 01 के रूप में वादी के पिता सोनाराम उर्फ सोनिया को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। जबकि सोनाराम उर्फ सोनिया की मृत्यु दिनांक 24.06.2019 को दावा पेश करने से पूर्व हो चुकी थीं। इस कारण वादी ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा पेश किया है। जो कानूनन् वादी का वादपत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य था। इस कारण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी कानूनन् स्वीकार योग्य नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि जो संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति नहीं थीं। क्योंकि हेमाराम पुत्र श्री स्वरूपजी के जीवनकाल में वादी/प्रार्थी का जन्म ही नहीं हुआ था। हेमारामजी का स्वर्गवास दिनांक 20.05.1920 को हो चुका था एवं वादी/प्रार्थी मांगीलाल का जन्म दिनांक 06.06.1979 को हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी के दादा के जीवनकाल में प्रार्थी/वादी मांगीलाल का कोई अस्तित्व ही नहीं था एवं हेमारामजी के जीवनकाल में सोनारामजी की शादी भी नहीं हुई थीं। सोनारामजी की शादी दिनांक 29.05.1940 को हुई, जो हेमारामजी के स्वर्गवास के 20 वर्ष पश्चात हुई एवं वादी/प्रार्थी का जन्म हेमारामजी के स्वर्गवास के करीब 55 वर्ष बाद हुआ। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति हेमारामजी के देहान्त के पश्चात् उत्तराधिकारी के रूप में सोनाराम उर्फ सोनिया को उनके हिस्सा प्राप्त हुआ। जिसका नामान्तरण दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि किसी भी रूप से वादी/प्रार्थी के

अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हक–अधिकार व पैतृक सम्पत्ति नहीं थीं, बल्कि सोनाराम उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्से के एकमात्र खातेदार काश्तकार थें, जिनको उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्णतया हक अधिकार प्राप्त थें। इस प्रकार जब वादी/प्रार्थी का उसके दादा के जीवनकाल में कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की कोई सम्पत्ति मिताक्षरा के अनुसार प्राप्त नहीं हुई और वादी/प्रार्थी को कोई हक अधिकार भी उक्त भूमि में नहीं रहते। क्योंकि सोनाराम उर्फ सोनिया ने अपने जीवनकाल में अपने 1/6 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का 1/2–1/2 हिस्सा दोनों अपीलार्थीगण के पक्ष में सन् 2017 में बख्शीश कर, कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जिसका नामान्तरण संख्या 3090 स्वीकृत होकर अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी हैं। इस प्रकार वादी/प्रार्थी का प्रथमदृष्टया कोई मामला भी नहीं था एवं मौके पर कोई कब्जा भी नहीं था एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं था। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थीगण जो रेकर्डेड खातेदार है उनको भूमि के उपयोग–उपभोग व हक–हकूकों से महरूम किया गया है। जो किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2020 को एकपक्षीय अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना विधिवत स्वयं के नोटिस तामिल हुये पारित किया गया है। जिस आदेश के बारे में अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थीं। अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में दिनांक 26.02.2021 को एवं प्रथम बार जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन संख्या 43 प्रस्तुत किया, जो नकलें तैयार होकर दिनांक 01.03.2021 को प्राप्त हुई। जिनको पढ़ने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिस जानकारी से अपीलार्थीगण की अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2020 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 05.03.2021 को प्रस्तुत की। विलंबकाल माफ करने के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की समुचित तामील करवाए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थीं। जो दिनांक 26.02.2021 को प्रथम बार जानकारी होने से नकल आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.03.2021 को नकल प्राप्त की गई। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित एकपक्षीय आदेश है। अतः आदेश दिनांक से ही इसकी जानकारी अपीलांट होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलंब विद्यमान नहीं हैं तथा अपीलांट की लापरवाही से विलंब होना साबित नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी अपीलांट्स के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपलब्ध अभिलेख अनुसार वादग्रस्त आराजीयात हेमा पुत्र स्वरूप की खातेदारी आराजी थीं। जो विरासत से काना, पन्ना, देवा, डाया, भीमा व सोनिया के नाम दर्ज हुई। सोनिया उर्फ सोनाराम प्रार्थी मांगीलाल व अपीलांट मोहनलाल का पिता है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पिता द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात में से 1/2 हिस्सा दिनांक 26.09.2017 को जम्मूदेवी पत्नि जोगाराम एवं 1/2 हिस्सा मोहनलाल पुत्र सोनाराम को पंजीकृत बख्शीशनामा से अंतरित कर दी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पैतृक पुश्तैनी आराजी होने तथा उक्त आराजीयात में अपने पिता सोनाराम उर्फ सोनिया के नाम दर्ज हिस्से में जन्म से उसका 1/9 हिस्सा निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जो जैरकार है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का आवश्यक तीनों बिंदुओं के आधार पर विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा ताफैसला वाद अपीलांट्स जो कि पंजीकृत बख्शीशनामा के अंतरिति है, को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। हमारे विनम्र मत में चूंकि खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र जैरकार है तथा ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात के भू.आ. को संरक्षित करना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2020 बअनवान मांगीलाल बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner